आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 186/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डियन बैंक जी–7, श्रीनाथ टॉवर सैन्ट्रल स्पाईन, विद्याद्यर नगर, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स पिताम्बरा इंण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्रीमती सरिता शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा
   पता– प्लाट नम्बर 26, प्रिया नगर IV, रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, सरना डूंगर, जयपुर ।
2. श्रीमती सरिता शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा
3. दीपक शर्मा पुत्र श्री कन्नसी राम शर्मा
4. श्रीमान वर्धन शर्मा पुत्र श्री दीपक शर्मा
   निवासीगण– फ्लैट नम्बर 401, एश्वर्या पर्ल, मन्दिर मार्ग, सैक्टर 10, विद्याद्यर नगर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :– श्री विजय सिंह गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 24.03.2022.

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सरिता शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा के स्वामित्व की आवासीय सम्पति फ्लेट नं. 401, एश्वर्या पर्ल, मन्दिर मार्ग, सैक्टर 10, विद्याद्यर नगर, जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 812 वर्गफिट बन्धक एवं प्लाट नम्बर 26 प्रिया नगर IV रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, सरना डूंगर पर स्थित स्टॉक को हाईपोथिकेटेड रख कर दिनांक 01.11.2013 को राशि 26,40,000/– रूपये, दिनांक 21.05.2018 को राशि 15,00,000/–रूपये व दिनांक 22.10.2018 राशि 15,00,000/– रूपये कुल राशि 56,40,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने मे असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.10.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभाति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 56,40,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 46,98,349/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.10.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सरिता शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा के स्वामित्व की आवासीय सम्पति प्लेट नं. 401, एश्वर्या पर्ल, मन्दिर मार्ग, सैक्टर 10, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 812 वर्गफिट बन्धक एवं प्लाट नम्बर 26 प्रिया नगर IV रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, सरना डूंगर पर स्थित हाईपोथिकेटेड स्टॉक का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/03/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर